



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

SHAKTI BHAWA

14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226 0

संख्या : 763 -कार्य/चौदह-पाकालि/2009-75-के/09

दिनांक - जून 20, 2009

कार्यालय ज्ञाप

यह पाया जा रहा है कि वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है और प्रदेश में इनके क्षतिग्रस्तता की दर मानक से बहुत अधिक है जिसके कारण उपभोक्ताओं की सेवा के साथ-साथ कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। क्षतिग्रस्तता का मुख्य कारण वितरण परिवर्तकों का समय-समय पर अपेक्षित निरीक्षण तथा अनुरक्षण न किया जाना है। इस सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

क्र०सं०	विवरण	अनुरक्षण कार्यक्रम
1	परिवर्तक की बुशिंग्स एवं टैंक कूलिंग पाइपों के बाहरी सतह की सफाई।	मासिक
2	कन्जरेक्टर का तेल स्तर एवं गेज ग्लास का निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार तेल टाप-अप किया जाना।	मासिक
3	ब्रीदर में सिलिका जैल का निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार बदला जाना।	मासिक
4	एच०टी० फ्यूज एवं एल०टी० फ्यूज का निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार उचित क्षमता (गेज) का फ्यूज अवश्य लगाया जाना।	मासिक
5	वेन्ट पाइप डायफ्राम का निरीक्षण।	मासिक
6	टर्मिनल कनेक्शनों का निरीक्षण एवं ढीले होने पर उन्हें टाइट किया जाना।	मासिक
7	तेल के रिसाव (लीकेज) का निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार आयल सील्स का बदलना।	मासिक
8	पीक अवधि में एल०टी० साइड के तीनों फेजों की अलग-अलग टॉग टेस्टर से करेन्ट मापकर परिवर्तक के तीनों फेजों पर भार का सन्तुलन बनाए रखना एवं ओवर लोडिंग (अतिभारिता) दूर किया जाना।	त्रैमासिक
9	आन्तरिक प्रतिरोध (आई०आर०) मूल्यों को मापना।	छमाही
10	तेल के ब्रेक डाउन वोल्टेज एवं उसकी अम्लता (एसिडिटी) का परीक्षण।	छमाही
11	लाइटनिंग अरेस्टर का निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार मानसून के पहले उसे बदलना।	छमाही
12	अर्थ रेसिस्टेन्स को मापना एवं अर्थिंग सिस्टम का निरीक्षण तथा आवश्यकतानुसार समुचित अर्थिंग करना।	छमाही
13	परिवर्तक की ओवर हॉलिंग।	पाँच वर्ष के अन्तराल पर

उपरोक्त के अतिरिक्त परिवर्तकों की स्थापना एवं उनकी ढुलाई के दौरान यह सावधानी बरती जाए कि परिवर्तक को किसी प्रकार का झटका (जर्क) न लगे तथा परिवर्तक ऊर्ध्वाधर स्थिति (वर्टिकल पोजीशन) से झुकने न पाए।

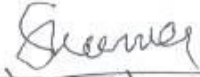
निदेशक (वितरण)

संख्या: 763 (1)-कार्य-चौदह/पाकालि/2009 तददिनांक 20.06.09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (वितरण)/(का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. समस्त प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध प्रमुख निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र) विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यांचल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी/दक्षिणांचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ/केस्को-कानपुर।

आज्ञा से,


(शैलेन्द्र कुमार) 20/06/09
संयुक्त सचिव (कार्य)